बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संɑसंɑ 09/आɑ–02–09/2015 1019 (9) दिनांक– 04/10/016

सिविल सर्जन, जहानाबाद के पत्रांक–449 दिनांक 18.03.2015 द्वारा डा0 मीना कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल, जहानाबाद के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित है कि दिनांक 16.03.15 को निरीक्षण के क्रम में उपस्थिति पंजी में इनकी उपस्थिति दर्ज नही रहने पर सिविल सर्जन, जहानाबाद द्वारा अनुपस्थित दर्ज किया गया। जिसके विरोध में डा0 मीना कुमारी द्वारा सिविल सर्जन, जहानाबाद के कार्यालय कक्ष में आकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। विभागीय पत्रांक–171(9) दिनांक 11.02.16 द्वारा डा0 मीना कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। अपने स्पष्टीकरण दिनांक 01.03.2016 में डा0 कुमारी ने अपने उपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए लिखा कि दिनांक 16.03.15 को इनकी ड्यूटी अपराह्न 2:00 बजे से थी, जबकि पूर्वाह्न 10:00 बजे ही उन्हें अनुपस्थित दिखा दिया गया।

सम्पूर्ण मामले की सम्यक समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 मीना कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अमर शहीद जगदेव प्रसाद अस्पताल, जहानाबाद को निंदन की सजा दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 1019 (9) दिनांकः– 04/10/2016

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0ह0) बिहार, पटना/अवर सचिव वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 मीना कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा – 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 17 एवं 18 प्रोन्नति कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

22.9.16

सरकार के अवर सचिव